उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0

मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

पी.बी.एक्स. 2623806,2623740 2624972,2611522 2214007
फैक्स : 0522–2629284
ईमेल : upcb.lucknow@gmail.com

पत्रांक : आईटीसेल / 2013–14 / 110
दिनांक : 22 जून, 2013

सचिव / महाप्रबन्धक,
समस्त जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः जिला सहकारी बैंकों में सीबीएस प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षानुसार निर्धारित तिथि तक जिला सहकारी बैंकों में सीबीएस प्रणाली लागू करने के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 द्वारा परिपत्र संख्या–सी–19 / अधि0–8 / डी0सी0बी0 कम्प्यूटराइजेशन / सी0बी0एस0 दिनाँक 21.06.2013 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से हार्डवेयर उपकरणों की आपूर्ति, डाटा सेन्टर की उपलब्धता तथा बैंकों में सीबीएस प्रणाली लागू करने पर आने वाले व्यय इत्यादि के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

निबन्धक स्तर से जारी उक्त परिपत्र तथा उ0प्र0 के शासनादेश संख्याः 567 / 49–1–13–8(34) / 13 दिनाँक 04.04.2013 के माध्यम से प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में सीबीएस प्रणाली एवं उससे सम्बन्धित समस्त सेवाओं को लागू किये जाने की योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु गठित कमेटी द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार दिशा–निर्देशों की छायाप्रति प्रेषित करते हुए अपेक्षित है कि निर्धारित तिथि तक जिला सहकारी बैंकों में सीबीएस प्रणाली लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अग्रेतर, उक्तानुसार गठित समिति द्वारा जिला सहकारी बैंकों में हार्डवेयर की आपूर्ति हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित एजेंसी श्रीट्रान इण्डिया लि0 को चयनित किया गया है। यदि किसी जिला सहकारी बैंक स्तर पर शासन द्वारा नामित किसी अन्य नोडल एजेंसी द्वारा श्रीट्रान इण्डिया लि0 की दरों से कम दरों पर हार्डवेयर आपूर्ति करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी सूचना शीर्ष बैंक को उपलब्ध करायें, ताकि उक्त दरों को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर तद्नुसार यथोचित निर्णय लिया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

(एस0सी0 द्विवेदी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त उप आयुक्त एवं उपनिबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
3. समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, मुख्यालय।
4. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र०

परिपत्र सं० सी–19/अधि०–8/डी०सी०बी० कम्प्यूटराइजेशन/सी०बी०एस० दिनॉक: 21-6-13

समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–जिला सहकारी बैंको में सी०बी०एस० प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनॉक 30.9.2013 तक सभी राज्य सहकारी बैंक तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंक (जिला सहकारी बैंक) द्वारा सी०बी०एस०प्रणाली अपनाते हुये अपने ग्राहको को आर० टी० जी० एस०,एन०ई०एफ०टी० व ए०टी०एम० आदि सेवायें उपलब्ध कराई जाय।

जिला सहकारी बैंको के व्यवसायिक एवं प्रशासनिक नियन्त्रण का अधिकार उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० में निहित होने के कारण शासनादेश सं० 567/49–1–13–8(34)/13 दिनॉक 4.4.2013 द्वारा इन बैंको में सी०बी०एस०प्रणाली से कम्प्यूटराइजेशन का कार्य कराये जाने हेतु उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० को इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी नामित किया गया है।

इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी के रूप में उ०प्र०कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ के पर्यवेक्षण में जिला सहकारी बैंको में हार्ड वेयर उपकरणों की आपूर्ति उ०प्र० सरकार द्वारा नामित नोडल एजेन्सी के माध्यम से कराई जायेगी। सी०बी०एस० प्रणाली हेतु जिला सहकारी बैंको द्वारा उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० का डेटा सेन्टर प्रयुक्त किया जायेगा तथा सी०बी०एस० स्थापना से सम्बन्धित अन्य कार्य भी उ०प्र०कोआपरेटिव बैंक लि० के माध्यम से सम्पन्न होंगे।सी०बी०एस० प्रणाली की स्थापना पर आने वाले समस्त व्यय का वहन जिला सहकारी बैंको द्वारा अपने संसाधनो से किया जायेगा। इस कार्य हेतु उन्हें कोई भी शासकीय वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुये अपेक्षा है कि जिला सहकारी बैंको में सी०बी०एस० प्रणाली की स्थापना निर्धारित तिथि तक कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपर्युक्तानुसार।

(देबाशीष पण्डा)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ०प्र०.
लखनऊ।

परिपत्र सं० सी– /अधि०–8/डी०सी०बी० कम्प्यूटराइजेशन/सी०बी०एस० दिनॉक: उक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता,उ०प्र०।
2–समस्त उप आयुक्त एवं उपनिबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
3–समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, मुख्यालय।
4–प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।
5–प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ०प्र०,
लखनऊ।